न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–398/2016 (जीसीएमएस नं. 2016/00084)

01. मालीराम पुत्र श्री नारायण, आयु 61 वर्ष,
02. चन्दालाल पुत्र श्री सूरजदास, आयु 61 वर्ष,
03. गोविन्द पुत्र श्री रामचन्द आयु 46 वर्ष,
04. सीताराम पुत्र श्री रामचन्द्र, आयु 41 वर्ष,
05. बाबूलाल पुत्र श्री नाथुराम, आयु 61 वर्ष,
06. नरायण लाल पुत्र श्री नाथूराम, आयु 51 वर्ष,
07. छोगा लाल पुत्र श्री बुद्धाराम आयु 36 वर्ष,
08. कानाराम पुत्र श्री सहदेव आयु 46 वर्ष,
09. ग्यारसीलाल पुत्र श्री नाथूलाल, आयु 56 वर्ष,
10. रामदयाल पुत्र श्री बुद्धारम, आयु 41 वर्ष, जातियान बलाई निवासीगण ग्राम बावड़ी तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. तहसीलदार जिला जयपुर/भू अभिलेख अधिकारी तहसील व जिला जयुपर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री महावीर प्रसाद कस्बां एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 04.04.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिलाधीश जयपुर ने आदेश दिनांक 26.06.1989 क्रमांक (1)/1332/83/7454 के द्वारा ग्राम बावडी तहसील व जिला जयपुर के आबादी विस्तार हेतु खसरा नम्बर 230 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 4 बिस्वा गैर मु. चारागाह कम कर धारा 92 भू राजस्व अधिनियम के अधीन आबादी हेतु सेट अपार्ट की गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 03.08.1990 को खोला गया, तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व रिकार्ड में दिनांक 19.09.2013 को तरमीम की गई तथा नक्शे में तरमीम मौके पर आबादी बलाई बस्ती के स्थान पर नही की गई बल्कि ऐसे स्थान पर तरमीम की गई जहॉ रीको की फैक्ट्रीयॉ है या जगह खाली नही है। अपीलार्थीगण द्वारा बार–बार तहसीलदार, कलक्टर को निवेदन कर मौके पर आबाद बलाई बस्ती के स्थान पर नक्शे में तरमीम की प्रार्थना की गई मगर कोई कार्यवाही नही हुई, ना ही नक्शा ट्रेस में संशोधन किया गया जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

न्यायालय ने दिनांक 24.06.2016 को राजस्व कैम्प में अपीलार्थीगण को सुने बिना ही प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया है जो आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्ति है जो वर्ष 1970 से खसरा नम्बर 230 में घर बनाकर आबाद है जहॉ पर पुरा गांव बसा हुआ है, अपीलार्थीगण ने व ग्राम पंचायत ने मौजूदा आबादी व आबाद वाले स्थान को आबादी हेतु सेट अपार्ट करने की प्रार्थना की थी, एवं जिला कल्क्टर जयपुर ने दिनांक 26.09.1989 को खसरा नम्बर 230 में से 3 बीघा 4 बिस्वा तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर ग्राम पंचायत की भूमि का संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार कब्जा संभलाने का आदेश था, तहसीलदार ने आदेश की पालना में 3 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया लेकिन नक्शे मे तररीम सही स्थान पर जहॉ आबादी बसी थी नही की बल्कि गलत स्थान पर नक्शे मे तरमीम कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से उसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलार्थीगण की गैर हाजरी में व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही राजस्व कैम्प में मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वकील वादी की पत्रावली नियत पेशी दिनांक 01.06.2016 से आगामी पेशी रीडर ने दिनांक 24.06.2016 की बताई गई, उक्त पेशी पर रीडर से पेशी पूंछने पर बताया गया कि पत्रावली राजस्व कैम्प में है वहॉ से आने पर आगामी पेशी बताई जावेगी लेकिन बार–बार सम्पर्क करने पर भी रीडर ने कहा कि कैम्प की फाईलों की छंटनी हो रही है, पत्रावली पेशी पर आ रही है, लिस्ट बनने पर आगामी तारीख बता दी जावेगी। दिनांक 16.09.2016 को रीडर ने बताया कि पत्रावली राजस्व कैम्प में दिनांक 24.06.2016 को फैसल हो गई है जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 16.09.2016 को प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 19.09.2016 को नकल प्राप्त की तब पता चला कि वाद खारिज कर दिया गया तथा अपीलार्थीगण ने ग्राम वासियों से अपील हेतु सलाह सहमति प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16.09.2016 से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 निरस्त फरमाया जावें एवं तहसीलदार जयपुर को आदेश फरमाया जावें कि वह ग्राम बावड़ी पटवार हल्का सरना डूँगर तहसील व जिला जयुपर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 230 में जिलाधीश जयपुर के आदेश दिनांक 26.091989 द्वारा आबादी हेतु की गई सेट अपार्ट भूमि का नक्शे में तरमीम मौके पर आबाद अपीलार्थीगण व अन्य लोगों की आबादी वाले स्थान पर करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि पटवारी हल्का सरना डूँगर व तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलक्टर जयपुर के स्वीकृति

P.T.O.

आदेश के साथ संलग्न प्रस्तावित तरमीम के अनुसार नक्शे में तरमीम की जा चुकी है। ऐसी में तरमीम स्थल को बदलना धारा 136 के अन्तर्गत नही आने से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रवली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में दिनांक 26.05.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.06.2016 नियत की गई है तत्पश्चात दिनांक 01.06.2016 को पत्रावली पेश हुई या नही, इस बाबत कोई आदेशिका नही है बल्कि सीधे ही दिनांक 24.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश होकर निर्णित हुई है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एवं अपीलार्थीगण की बिना जानकारी के प्रकरण सीधे ही लोक अदालत कैम्प कोर्ट में नियत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.216 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।